न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 90/2017

मु0 कंचन देवी पत्नी कन्हैया लाल दर्जी निवासी काछोला बनाम (1) कमला चन्द पिता श्री कमल मेडी काछोला (2) रेखा पिता गोपी वैष्णव काछोला (3) मनीषा पिता गंगाराम वैष्णव निवासी — पुजारी श्री चारभुजा काछोला (4) देवकी पिता गंगाराम वैष्णव — पुजारी श्री चारभुजा काछोला

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :–

दिनांक— 29/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री — मु0 कंचन देवी दर्जी — ने जरिये अभिभाषक श्री महेश चन्द पुरोहित ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प0ह0 काछोला तह0 माण्डलगढ मे आराजी न0 1855/1, 1855/2, 1855/3, 2787/1853 किता 04 रकबा 10 बीघा 012 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराये जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2071/2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम— काछोला की आराजी न0— 1855/1, 1855/2, 1855/3, 2787/1853 रकबा 10 बीघा 012 बिस्वा —की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेंख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 550/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

आदेश